



2026:AHC:11568

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ख संख्या - 125/2026

श्रीमती आरती उर्फ भारती देवी

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

आवेदक(ओं) के वकील : रमेश चंद्र द्विवेदी

विरोधी पक्ष(ओं) के वकील : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. प्रस्तुत रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए दायर की गई है:-

"1. मैडमस की प्रकृति का एक रिट, आदेश या नियम जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2, यानी समेकन अधिकारी, कसिया, कुशीनगर को यह निर्देश दिया जाए कि वे यूपीसीएच. अधिनियम की धारा 12 के तहत दायर 'रि कॉल आवेदन' (जो 'बहाली मामला संख्या 88' के रूप में दर्ज है) पर विचार करें और उसका निर्णय करें। यह आवेदन, यूपीसीएच. अधिनियम की धारा 9क(2) के तहत 'मामला संख्या 1030/2012-13' (सभापति और अन्य बनाम रामबचन और अन्य) में दायर किया गया था, और पिछले 13 वर्षों से उनके समक्ष लंबित है; इस पर इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर शीघ्रता से निर्णय लिया जाए।"

3. यह निवेदन है कि याचिकाकर्ता की ओर से दिनांक 27.09.2023 के आदेश के विरुद्ध दायर की गई रि कॉल याचिका दिनांक 21.12.2023 से विचाराधीन है, जबकि रि कॉल याचिका में विपक्षी पक्षकार पहले ही उपस्थित हो चुके हैं और मामला अंतिम निर्णय के लिए तैयार है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को उपर्युक्त मामले के शीघ्र निपटारे हेतु निर्देश जारी किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

5. इस संदर्भ में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा; इसलिए, यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटारा करना उचित समझता है। ऐसा करते समय, न्यायालय वर्तमान रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, बल्कि यह निर्देश दे रहा है कि समेकन अधिकारी, कसिया, कुशीनगर (प्रतिवादी संख्या 2)—जिनके समक्ष उपर्युक्त मामला विचारार्थ लंबित है—उस पर कानून के अनुसार शीघ्रता से विचार करें और निर्णय लें; अधिमानतः, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से **छह महीने** की अवधि के भीतर।

6. यह अपेक्षा की जाती है कि इसका निर्णय कानून के अनुसार, एक तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश द्वारा किया जाए; और ऐसा संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, तथा किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना किया जाए।

7. उपर्युक्त निर्देश के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

जनवरी 16, 2026

उर्फ

(माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

"Translated, Corrected & Authenticated by SHIKHAR CHANDRA

(ADVOCATE) HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

A.O.R - A/S1272/2022

UP REGN. No. UP09028/2020"

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"